

अनुमति की शर्तें।

- (i) उक्त भवन/गुहाण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

स्माल डिप्लोमेक्ज आवासीय उपोपकरण
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

जी+1
आवासीय

आवेदन क्रमांक 154 दिनांक 28/06/2019
प्राप्ति शिवराम डी पी पत्रालय
ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009
भाग 194 (7) (घ) के तहत आवासीय
भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 7372/- जमा
जरिये रसौद संख्या 028/3509/3510
दिनांक 28/06/2019 को जमा करा दी है।

P No- 23/801 चौपासकी इलाक़ा
वार्ड
904/3/19

प्रारूपकार
नगर निगम, जोधपुर

सहायक नगर निर्माण
इन्सपेक्टर, जोधपुर

Sunt
04/07/19
9413029994

